

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात।

आदेश सं० 15 दिनांक: 13-01-26

आदेश

जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में वर्ष 2026 हेतु स्थानीय अवकाश के संबंध में जारी आदेश सं० 08 दिनांकित 07.01.2026 के द्वारा दिनांक 14.01.2026 को मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० 486/Admin. (E-D) Section/XC-4/2026 dated 13.01.2026 के द्वारा दिनांक 15.01.2026 दिन गुरुवार को मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, एवं इसके बदले में किसी चतुर्थ शनिवार को न्यायिक कार्य दिवस घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 14.01.2026 मकर संक्रान्ति हेतु घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 10.03.2026 'गंगामेला' के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। दिनांक 14.01.2026 को जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के समस्त न्यायालय न्यायिक कार्य हेतु यथावत खुले रहेंगे। उक्त आदेश वाह्य स्थित न्यायालय भोगनीपुर, घाटमपुर एवं ग्राम न्यायालय बिल्हौर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित हो।

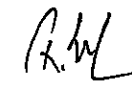
आदेश की प्रति प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कानपुर देहात एवं पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, कानपुर देहात को सूचनार्थ प्रेषित की जाय। आदेश की प्रति समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी की प्रेषित की जाये।

परिचालित हो। समस्त सम्बन्धित सूचित किया जाये।


जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।
District Judge,
Ramabai Nagar,
Kanpur Dehat

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
3. न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग), भोगनीपुर, कानपुर देहात।
4. न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग), घाटमपुर, कानपुर देहात।
5. ग्राम न्यायालय, बिल्हौर, कानपुर देहात।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, एकीकृत बार एसोसिएशन, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात।
7. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात।
8. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन, माती मुख्यालय, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात।
9. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।
District Judge,
Ramabai Nagar,
Kanpur Dehat